

विधान सभा कार्य
परम अग्रता

कमांक 1/9/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी बोर्डों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 8 फरवरी, 2017.

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 27 फरवरी, 2017 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

भवदीय,

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: कमांक 1/9/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 8 फरवरी, 2017

<<<>>>

निदेशालय कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला

पृ0 कमांक 3718-868 /स्था0-III(5), दिनांक, पंचकूला:- 16/02/2017

इसकी एक प्रति :-

1. सभी अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक
 2. सभी अनुभागाध्यक्ष
 3. सभी अधीनस्थ कार्यालय, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा ।
- को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

निदेशालय कृषि तथा किसान कल्याण,
हरियाणा, पंचकूला

M. Parth

सहायक निदेशक (प्रशा0)

कृते: निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग
हरियाणा, पंचकूला ।

✓ C.C. Computer programmer for update on Agri website